

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं. उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी:- रमेश देव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद : बाबत इस्तकरार हक

नम्बर मुकदमा - 11/2018

निर्णय दिनांक:-

सुभाषचन्द्र पुत्र बीरबलराम जाति ब्राह्मण सा. नाथवाना तह. संगरिया जिला
हनुमानगढ

- वादी

बनाम

- 1 मनीराम पुत्र काशीराम जाति ब्राह्मण सा. नाथवाना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
- 2 कृष्णलाल पुत्र काशीराम जाति ब्राह्मण सा. नाथवाना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
- 3 श्योकोरीदेवी पुत्री काशीराम पत्नी भागीरथ जाति ब्राह्मण सा. वहलोलनगर तह. व जिला हनुमानगढ
- 4 सन्तोदेवी पुत्री काशीराम पत्नी भागीरथ जाति ब्राह्मण सा. मोहनमगरिया तह. जिला हनुमानगढ
- 5 महावीरप्रसाद पुत्र बनवारीलाल जाति ब्राह्मण सा. नाथवाना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
- 6 शीशपाल पुत्र बनवारीलाल जाति ब्राह्मण सा. नाथवाना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
- 7 विधादेवी पुत्री बनवारीलाल पत्नी जगदीश जाति ब्राह्मण सा. पीपासर तह. सुरतगढ जिला श्री गंगानगर
- 8 सिलोचना पुत्री बनवारीलाल पत्नी मदनलाल जाति ब्राह्मण सा. बालादेसर तह. लुणकरणसर जिला बीकानेर
- 9 सुमित्रा देवी पुत्री बनवारीलाल पत्नी डैतराम जाति ब्राह्मण सा. धोलीपाल तह. व जिला हनुमानगढ
- 10 रूकमा देवी पत्नी बीरबलराम जाति ब्राह्मण सा. नाथवाना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
- 11 सावित्री देवी पुत्री बीरबलराम पत्नी कृष्णलाल जाति ब्राह्मण सा. हीरावाली पोस्ट खुईखेडा तह. व जिला फाजिल्का
- 12 गुड्डी देवी पुत्री बनवारीलाल पत्नी सत्यनारायण जाति ब्राह्मण सा. मलकीसर बडावास पोस्ट कुपरीसर तह. लुणकरणसर जिला बीकानेर
- 13 सन्तोष पुत्री बीरबलराम पत्नी तुलछाराम जाति ब्राह्मण सा. ढिडवाना पोस्ट मोकलसर बाया अर्जनसर तह. सुरतगढ जिला श्री गंगानगर
- 14 शारदादेवी पुत्री बीरबलराम पत्नी करणाराम जाति ब्राह्मण सा. माँ ब्राह्मणी मोवाईल सोप अर्जुनसर आर.सी.पी. कालोनी के सामने तह. लुणकरणसर जिला बीकानेर

24/8
महायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

- 15 दुर्गा पुत्री बीरबलराम पत्नी राजपाल जाति ब्राह्मण सा. रघुनाथपुरा तह. सुरतगढ
- 16 फुलादेवी पुत्री बीरबलराम पत्नी राजकुमार जाति ब्राह्मण सा. रोहिडावाली पोस्ट
निहालखेडा तह. अबोहर जिला फाजिल्का
- 17 सिलोचना पुत्री बीरबलराम पत्नी ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण सा. रोहिडावाली तह.
अबोहर जिला फाजिल्का
- 18 देवीदत्त पुत्र परमेशवरीदेवी पुत्री बीरबलराम पुत्र काशीराम जाति ब्राह्मण सा.
मलकीसर बडावास पोस्ट कुपरीसर तह. लुणकरणसर जिला बीकानेर
- 19 दलीप पुत्र परमेशवरीदेवी पुत्री बीरबलराम पुत्र काशीराम जाति ब्राह्मण सा.
मलकीसर बडावास पोस्ट कुपरीसर तह. लुणकरणसर जिला बीकानेर
- 20 अशोक पुत्र परमेशवरीदेवी पुत्री बीरबलराम पुत्र काशीराम जाति ब्राह्मण सा.
मलकीसर बडावास पोस्ट कुपरीसर तह. लुणकरणसर जिला बीकानेर
- 21 यशोदादेवी पुत्री परमेशवरी देवी पुत्री बीरबलराम पत्नी रामलाल जाति ब्राह्मण
सा. सिरासर तह. रावतसर जिला हनुमानगढ
- 22 गोगी पुत्री परमेशवरी देवी पुत्री बीरबलराम पत्नी बजरंगलाल जाति ब्राह्मण सा.
सिरासर तह. रावतसर जिला हनुमानगढ
- 23 सुमन पुत्री बलवन्तराम पुत्र बीरबलराम पत्नी हेमराज जाति ब्राह्मण सा. रघुनाथपुरा
तह. सुरतगढ जिला श्री गंगानगर
- 24 राजपाल पुत्र देवीलाल जाति जाट सा. नाथवाना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
- 25 तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया

— प्रतिवादीगण

उपरिस्थित

श्री हरविन्द्र कुमार — अधिवक्ता वादी

श्री हरबन्स सिंह — अधिवक्ता प्रति स. 3, 4,5,6,8,9,11 ता 23

श्री कैलाश सिंवल — अधिवक्ता प्रति स. 7

श्री प्रेम भारद्वाज — अधिवक्ता प्रति स. 1 व 2

श्री परविन्द्र सिंह :- अधिवक्ता प्रति स. 24

निर्णय

उक्त अनुवानी वाद पत्र वादी की तरफ से जरिए वकील उक्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया कि वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त परिवार की वंशावली दावा की दफा 2 में दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम चक 4 एम.जे.डी. के खाता स. 73/48 खाता रूकमा देवी वगैरा ज.स. 2070-73 व चक 17 बी.जी.पी. के खाता के खाता स. 9/9 खाता बनवारीलाल वगैरा ज.स. 2068 ता 71में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादी स. 1 ता 23 के नाम दर्ज दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी के अलावा वादी व प्रति स. 1 ता 23 की आराजी और भी थी प्रतिस. 2 व प्रतिवादी स. 5 से 9 के पिता बनवारीलाल ने विभाजन अनुसार अपना खाता पूर्व मे ही अलग कायम करवा लिया था। इस प्रकार वाद की

24/8
महायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

दफा 3 में दर्ज आराजी में प्रति स. 2 व 5 से 9 का हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है। वादी की दादी राजादेवी के नाम से चक 4 एम.जे.डी. के खाता स. 73/48 में 0.667 है 0 तथा चक 17 बी.जी.पी. के खाता स. 9/9 में प्रति स. 2 व प्रति स. 5 के नाम से आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। राजादेवी फौत हो गयी है। जिसके वारिस वादी व प्रति स. 1 ता 23 ही है। प्रति स. 3-4 व 11 से 23 ने अपना हक व हिस्सा का परित्याग वादी के पक्ष में कर दिया है। वादी ने सांझा खाते के सह हिस्सेदारान से विभाजन कर रखा है। वादी मुताबिक घरू विभाजन दावा की दफा 6 के अनुसार काबिज है। कब्जाकाशत बाबत कोई विवाद नहीं है। लेकिन उक्त आराजी उक्तानुसार वादी के नाम दर्ज नहीं होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पडता है। इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि वे उक्तानुसार वादी का खाता अलग कायम करवा देवे तो इस पर वे स्पष्ट इंकारी हो गये। इस यही वाद कारण है। अतः चक 4 एम.जे.डी. खाता स. 73/48 खाता रूकमादेवी वगैरा ज.स. 2070-73 में प्रति स. 10 से 23 व राजादेवी पत्नी काशीराम के नाम तथा प्रति स. 1 मनीराम के नाम दर्ज आराजी में से 0.313 है 0 आराजी का वादी खातेदार काशतकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर प्रति स. 10 ता 23 व राजादेवी का नाम कलमजन किया जावे व प्रति स. 1 का 0.313 है 0 का हिस्सा कम किया जावे तथा चक 17 बी.जी.पी. के खाता स. 9/9 खाता बनवारीलाल वगैरा ज.स. 2068-71 में प्रति स. 2 व प्रति स. 5 ता 9 तथा प्रति स. 10 ता 23 के नाम दर्ज आराजी का वादी खातेदार काशतकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम अंकन किया जाकर प्रति स. 2, 5, 10 ता 23 का नाम कलमजन किया जावे व वादी का खाता दावा की दफा 6 के अनुसार अलग कायम किया जाकर इसी अनुसार रकमराज अलग से कायम की जावे।

उक्त वाद पेश होने पर तथा सीगेदार की रिपोर्ट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। प्रति स. 10 के दावा दायरी के बाद फौत होने पर अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी.पी. के पेश होने पर व उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार होने पर प्रति स. 10 का नाम उक्त दावा से विलोपीत किया गया। प्रति स. 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया। जो शामिल मिसल है। प्रति स. 2 का काउण्टर क्लेम दिनांक 3-12-2021 को जरिये अधिवक्ता नोट प्रेस किया गया। प्रति स. 5 व 6 ने जरिये अधिवक्ता सहमति का जवाब पेश किया। जो शामिल मिसल है। प्रति स. 3-4-7-8-9-12 ता 23 की तरफ से जरिये अधिवक्ता सहमति का जवाब दावा पेश किया गया। जो शामिल मिसल है। तथा प्रति स. 24 का जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया गया। जो शामिल मिसल है। प्रति स. 25 की ओर से जवाब दावा पेश हुआ जो शामिल मिसल है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी. पेश है। जो शामिल मिसल है।

बहस अभिभाषकगण सुनी गई। वादी अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण ने काशत की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परस्पर सहमति से घरू विभाजन वादग्रस्त आराजी का कर लिया है तथा उसी अनुसार मौका पर काशत कर रहे है। कब्जा काशत के संबंघ मे कोई विवाद नहीं है, किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी मुताबिक

महशयक कंसक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

बंटवारा वादी के नाम से दर्ज नही होने से खातेदारी अधिकारो पर विपरित प्रभाव पड रहा है। वादी के वाद व प्रतिवादी स. 1 व 5 तथा 6 के काउण्टर क्लेम का कोई विरोध नही है।

बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। दस्तावेजी साक्षय मे नकल जमाबन्दीचक 4 एम.जे.डी. के खाता स. 73/48 खाता रूकमा देवी वगैरा ज.स. 2070-73 व चक 17 बी.जी.पी. के खाता के खाता स. 9/9 खाता बनवारीलाल वगैरा ज.स. 2068 ता 71 पेश है। जो प्रदर्श 1 ता 2 है। वादी एवं प्रति स. 1 ता 23 एक ही परिवार के सदस्य है। प्रति स. 3-4-7-8-9-12 ता 23 ने वाद पत्र को स्वीकार करते हुए सहमति का जवाब दावा पेश किया है। प्रति स. 1 व 5 तथा 6 ने जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया है। वादी के वाद व प्रति स. 1 व 5 तथा 6 के काउण्टर क्लेम का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र काउण्टर क्लेम प्रति स. 1 व 5 तथा 6 का कोई विरोध नही होने से सहमती के आधार पर मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी व काउण्टर क्लेम प्रति स. 1 व 24 डिक्री किया जाता है कि चक 4 एम.जे.डी. खाता स. 73/48 खाता रूकमादेवी वगैरा ज.स. 2070-73 में प्रति स. 10 से 23 व राजादेवी पत्नी काशीराम के नाम तथा प्रति स. 1 मनीराम के नाम दर्ज आराजी मे से 0.313 है0 आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर प्रति स. 10 ता 23 व राजादेवी का नाम कलमजन किया जावे व प्रति स. 1 का 0.313 है0 का हिस्सा कम किया जावे तथा चक 17 बी.जी.पी. के खाता स. 9/9 खाता बनवारीलाल वगैरा ज.स. 2068-71 में प्रति स. 2 व प्रति स. 5 ता 9 तथा प्रति स. 10 ता 23 के नाम दर्ज आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम अंकन किया जाकर प्रति स. 2, 5, 10 ता 23 का नाम कलमजन किया जावे व वादी का खाता दावा की दफा 6 व प्रति स. 1 का काउण्टर क्लेम काउण्टर क्लेम की दफा 11 व 24 का काउण्टर क्लेम, काउण्टर क्लेम की दफा 10 के अनुसार अलग कायम किया जाकर इसी अनुसार रकमराज अलग से कायम की जावे। निज........ मुब्लिक........ बाबत........ खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक. 24-8-22 को जारी की गई।

नोट:- यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

डिक्री एवं मुकदमे ईब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

अज अदालत - रमेश देव (आर.ए.एस.)

सुभाषचन्द्र पुत्र बीरबलराम जाति ब्राह्मण सा. नाथवाना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
- वादी

बनाम

- 1 मनीराम पुत्र काशीराम जाति ब्राह्मण सा. नाथवाना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
- 2 कृष्णलाल पुत्र काशीराम जाति ब्राह्मण सा. नाथवाना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
- 3 श्योकोरीदेवी पुत्री काशीराम पत्नी भागीरथ जाति ब्राह्मण सा. बहलोलनगर तह. व जिला हनुमानगढ
- 4 सन्तोदेवी पुत्री काशीराम पत्नी भागीरथ जाति ब्राह्मण सा. मोहननगरिया तह. जिला हनुमानगढ
- 5 महावीरप्रसाद पुत्र बनवारीलाल जाति ब्राह्मण सा. नाथवाना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
- 6 शीशपाल पुत्र बनवारीलाल जाति ब्राह्मण सा. नाथवाना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
- 7 विधादेवी पुत्री बनवारीलाल पत्नी जगदीश जाति ब्राह्मण सा. पीपासर तह. सुरतगढ जिला श्री गंगानगर
- 8 सिलोचना पुत्री बनवारीलाल पत्नी मदनलाल जाति ब्राह्मण सा. बालादेसर तह. लुणकरणसर जिला बीकानेर
- 9 सुमित्रा देवी पुत्री बनवारीलाल पत्नी हेतराम जाति ब्राह्मण सा. धोलीपाल तह. व जिला हनुमानगढ
- 10 रूकमा देवी पत्नी बीरबलराम जाति ब्राह्मण सा. नाथवाना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
- 11 सावित्री देवी पुत्री बीरबलराम पत्नी कृष्णलाल जाति ब्राह्मण सा. हीरावाली पोस्ट खुईखेडा तह. व जिला फाजिल्का
- 12 गुडडी देवी पुत्री बनवारीलाल पत्नी सत्यनारायण जाति ब्राह्मण सा. मलकीसर बडावास पोस्ट कुपरीसर तह. लुणकरणसर जिला बीकानेर
- 13 सन्तोष पुत्री बीरबलराम पत्नी तुलछाराम जाति ब्राह्मण सा. ढिडवाना पोस्ट मोकलसर बाया अर्जनसर तह. सुरतगढ जिला श्री गंगानगर
- 14 शारदादेवी पुत्री बीरबलराम पत्नी करणाराम जाति ब्राह्मण सा. मों ब्राह्मणी मोबाईल सोप अर्जुनसर आर.सी.पी. कालोनी के सामने तह. लुणकरणसर जिला बीकानेर
- 15 दुर्गा पुत्री बीरबलराम पत्नी राजपाल जाति ब्राह्मण सा. रघुनाथपुरा तह. सुरतगढ
- 16 फुलादेवी पुत्री बीरबलराम पत्नी राजकुमार जाति ब्राह्मण सा. रोहिडावाली पोस्ट निहालखेडा तह. अबोहर जिला फाजिल्का
- 17 सिलोचना पुत्री बीरबलराम पत्नी ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण सा. रोहिडावाली तह. अबोहर जिला फाजिल्का

महायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

- 18 देवीदत्त पुत्र परमेशवरीदेवी पुत्री बीरबलराम पुत्र काशीराम जाति ब्राह्मण सा.
मलकीसर बडावास पोस्ट कुपरीसर तह. लुणकरणसर जिला बीकानेर
- 19 दलीप पुत्र परमेशवरीदेवी पुत्री बीरबलराम पुत्र काशीराम जाति ब्राह्मण सा.
मलकीसर बडावास पोस्ट कुपरीसर तह. लुणकरणसर जिला बीकानेर
- 20 अशोक पुत्र परमेशवरीदेवी पुत्री बीरबलराम पुत्र काशीराम जाति ब्राह्मण सा.
मलकीसर बडावास पोस्ट कुपरीसर तह. लुणकरणसर जिला बीकानेर
- 21 यशोदादेवी पुत्री परमेशवरी देवी पुत्री बीरबलराम पत्नी रामलाल जाति ब्राह्मण
सा. सिरासर तह. रावतसर जिला हनुमानगढ
- 22 गोगी पुत्री परमेशवरी देवी पुत्री बीरबलराम पत्नी बजरंगलाल जाति ब्राह्मण सा.
सिरासर तह. रावतसर जिला हनुमानगढ
- 23 सुमन पुत्री बलवन्तराम पुत्र बीरबलराम पत्नी हेमराज जाति ब्राह्मण सा. रघुनाथपुरा
तह. सुरतगढ जिला श्री गंगानगर
- 24 राजपाल पुत्र देवीलाल जाति जाट सा. नाथवाना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
- 25 तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया

— प्रतिवादीगणमु. स

11/2018

दावा अर्न्तगत धारा 88 आर.टी.ए.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री हरविन्द्र कुमार एड. वादी श्री हरबन्स सिह एड. प्रति स. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 ता 23 वश्री कैलाश सिंवल एड. प्रति स. 7 वश्री प्रेम भारद्वाज एड. प्रति स. 1 व 2. श्री परविन्द्र सिह एड. प्रति स. 24 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि चक 4 एम.जे.डी. खाता स. 73/48 खाता रूकमादेवी वगैरा ज.स. 2070-73 में प्रति स. 10 से 23 व राजादेवी पत्नी काशीराम के नाम तथा प्रति स. 1 मनीराम के नाम दर्ज आराजी मे से 0.313 है0 आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर प्रति स. 10 ता 23 व राजोदेवी का नाम कलमजन किया जावे व प्रति स. 1 का 0.313 है0 का हिस्सा कम किया जावे तथा चक 17 बी.जी.पी. के खाता स. 9/9 खाता बनवारीलाल वगैरा ज.स. 2068-71 में प्रति स. 2 व प्रति स. 5 ता 9 तथा प्रति स. 10 ता 23 के नाम दर्ज आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम अंकन किया जाकर प्रति स. 2, 5, 10 ता 23 का नाम कलमजन किया जावे व वादी का खाता दावा की दफा 6 व प्रति स. 1 का काउण्टर क्लेम काउण्टर क्लेम की दफा 11 व प्रति स. 24 का काउण्टर क्लेम, काउण्टर क्लेम की दफा 10 के अनुसार अलग कायम किया जाकर इसी अनुसार रकमराज अलग से कायम की जावे।

वादी का कब्जा:-

चक 17 बी.जी.पी. खाता स. 9/9

159/169 97 13/.253 14/.159 18-23/.253प्र. = 0.918 है0

चक 4 एम.जे.डी. खाता स. 73/48
169/187 37 4-5/.228प्र. 6-7-14/.253प्र. गै.मु./ .051
=1.266 है.
169/187 39 13/.253 18/.126 = 0.379

कुल आराजी 1.645 है0
प्रति स. 1 मनीराम पुत्र काशीराम का कब्जा:-
चक 4 एम.जे.डी. खाता स. 73/48
167/197 37 15/.253
168/187 38 10-11-12-19/.253प्र.
169/187 39 18/.127 19/.253

कुल आराजी 1.645 है0
प्रति स. 24 राजपाल पुत्र देवीलाल का कब्जा:-
चक 17 बी.जी.पी. खाता स. 9/9

159/169 97 14/.094 15/.253 16/.063 17/.253
24/.253 = 0.916 है0

निज..... मुब्लिक..... बाबत..... खर्चा मुकदमें के
मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक
..... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 24-8-22
को जारी की गई।

नोट:- यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा
डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया